2017 का विधेयक संख्यांक 158

[दि पब्लिक प्रेमिसिस (इविक्शन ऑफ अनअथोराइज्ड ओकुपेन्टस) अमेंडमेंट बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन अधिनियम, 2017 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 2 का संशोधन ।

1971 का 40

2. सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (चक) और खंड (चख) को क्रमश: खंड (चख) और खंड (चग) के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:संख्यांकित खंड (चख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(चक)' किसी सरकारी स्थान के संबंध में "निवास स्थान का अधिभोग" से किसी व्यक्ति द्वारा, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, किसी संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन या किसी कानूनी प्राधिकारी के प्राधिकार के अधीन बनाए गए नियमों और इस संबंध में जारी अनुदेशों के अनुसार किसी नियत अवधि के लिए या उसके पद धारण करने की किसी अवधि के लिए किसी आबंटन आदेश के आधार पर ऐसे स्थान के अधिभोग के लिए उसे दी गई अनुज्ञप्ति के आधार पर अधिभोग अभिप्रेत है ;'।

नई धारा 3ख का अंत:स्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

निवास स्थान से बेदखली ।

"3ख. (1) धारा 4 या धारा 5 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि संपदा अधिकारी के पास इस बात की सूचना है कि कोई ऐसा व्यक्ति, जिसे निवास स्थान अधिभोग के लिए दिया गया था, उक्त निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है, तो वह--

(क) तत्काल एक लिखित सूचना जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाएगी कि वह तीन कार्य दिवस की अवधि के भीतर कारण दर्शित करे कि बेदखली का आदेश क्यों न किया जाए ;

(ख) उस सूचना को उक्त निवास स्थान के बाहरी द्वार या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगाकर और अन्य ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उसकी तामील कराएगा और तब यह समझा जाएगा कि ऐसे व्यक्ति पर सूचना की तामील हो गई है ।

(2) संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस पर उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील की गई है, दर्शित कारण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह मामले की परिस्थितियों में समीचीन समझे, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, ऐसे व्यक्ति की बेदखली का आदेश करेगा ।

(3) यदि ऐसा व्यक्ति, जो अप्राधिकृत अधिभोग कर रहा है, उपधारा (2) में निर्दिष्ट बेदखली के आदेश का पालन करने से इंकार करेगा या उसका पालन करने में असफल रहेगा तो संपदा अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को निवास स्थान से बेदखल कर सकेगा और उसका कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए इतने बल का प्रयोग कर सकेगा, जितना आवश्यक हो ।"।

धारा 7 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(3क) यदि ऐसा व्यक्ति जो निवास स्थान के अप्राधिकृत अधिभोग में है धारा 3ख की उपधारा (2) के अधीन सम्पदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती देता है तो वह प्रत्येक मास के लिए उसके द्वारा धारित निवास स्थान के लिए नुकसानियों का संदाय करेगा ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) सरकारी स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. भारत सरकार, अपने कर्मचारियों, संसद् सदस्यों और अन्य उच्चपदस्थों को, जब वे सेवा में होते हैं या उनकी पदावधि तक अनुज्ञप्ति के आधार पर निवास स्थान उपलब्ध कराती है । विद्यमान आबंटन नियमों के अनुसार, अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों की समाप्ति के पश्चात् ऐसे निवास स्थानों के अधिभोगी ऐसी वाससुविधा में रहने के लिए अप्राधिकृत हो जाएंगे और उन्हें उसे खाली करना होगा । उक्त अधिनियम सम्पदा अधिकारी को, ऐसे अप्राधिकृत अधिभोगियों की निर्विघ्न, त्वरित और समयबद्ध रीति में "सरकारी स्थान" से बेदखल करने की शक्तियां प्रदत्त करता है । विद्यमान उपबंधों के अधीन "सरकारी स्थान" से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली संबंधी कार्यवाहियों में पांच से सात सप्ताह का समय लग जाता है । यदि अप्राधिकृत अधिभोगी उक्त अधिनियम के अधीन अपील फाइल कर देते हैं तो इसमें लगभग और चार सप्ताह का समय लग सकता है । तथापि, बेदखली संबंधी कार्यवाहियों में उक्त अधिनियम के अधीन विहित समय सीमा से अधिक अवधि लग जाती है । कभी-कभी अप्राधिकृत अधिभोगी को बेदखल करने में वर्षों लग जाते हैं ।

3. उक्त अधिनियम की धारा 3क के अधीन अस्थायी रूप से "सरकारी स्थान" का अर्थात् तीस दिन से कम के लिए अधिभोग करने वाले व्यक्तियों की दशा में संक्षिप्त बेदखली कार्यवाहियों के लिए उपबंध है । संक्षिप्त कार्यवाहियों के अधीन सम्पदा अधिकारी को बेदखली का आदेश पारित करने के पूर्व, अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 के अनुसार कारण दर्शित करने, जांच और सुनवाई के लिए, सूचना की तामील के लिए विहित विस्तृत प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करना होगा । तथापि, ये संक्षिप्त कार्यवाहियां, अनुज्ञप्ति के आधार पर दिए गए निवास स्थानों के अधिभोगियों को लागू नहीं होती है । अतः नई धारा 3ख अन्तःस्थापित करके अनुज्ञप्ति के आधार पर दिए गए निवास स्थान के लिए, अप्राधिकृत अधिभोगियों को तीन दिन की कारण दर्शित करने वाली अल्प सूचना देकर संक्षिप्त बेदखली प्रक्रिया लागू करने का प्रस्ताव है । इसमें धारा 2 का संशोधन करके "निवास स्थान का अधिभोग" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है ।

4. प्रायः यह देखा गया है कि अप्राधिकृत अधिभोगी नियमों के अनुसार अनुज्ञप्ति के निबंधन और शर्तों की समाप्ति पर सरकारी निवास स्थान खाली नहीं करते हैं और अपील अधिकारी के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष बेदखली के आदेश को चुनौता देते हुए और बेदखली के आदेश पर रोक आदेश अभिप्राप्त करके निवास स्थान को रोकने के लिए विलंबकारी रणनीति का उपयोग करते हैं । इस विलंब को रोकने के लिए अधिनियम की धारा 7 में इस प्रभाव की एक नई उपधारा (3क) अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि यदि व्यक्ति, संपदा अधिकारी द्वारा पारित बेदखली के आदेश को किसी न्यायालय में चुनौती देता है तो उसे प्रत्येक मास

के लिए उसके द्‌वारा धारित निवास स्थान के लिए नुकसानियों का संदाय करना होगा ।

5. इन संशोधनों से उक्त अधिनियम की धारा 4 और धारा 5 के अधीन विस्तृत प्रक्रियाओं की अपेक्षा के बगैर निवास स्थानों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की निर्विघ्न और त्वरित बेदखली सुकर होगी इससे नए पदधारियों के लिए निवास स्थान की उपलब्धता और बढ़ जाएगी तथा संपूर्ण तुष्टि के स्तर में सुधार आएगा ।

6. विधेयक उपरोक्त उद्‌देश्यों को प्राप्त करने के लिए है ।

नरेन्द्र सिंह तोमर

नई दिल्ली ;
21 जुलाई, 2017

GMGIPMRND—1468LS(CRC)—26-7-2017.